GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD
AYUDH BHAVAN
10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD
KOLKATA-700 001

OFB

TEL : (033) 22485077-80	FAX:(033) 22487822

288/RR/SRO/Clerk/Per/NI

Date 06/02/2019

To
The Sr. General Manager / General Manager
All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub : Framing of SRO in respect of Office Superintendent, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'B' and Group 'C' posts) in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments in Ordnance Factories Organisation.

****

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of SRO 46 dated 26th May, 2018 for the post of Office Superintendent, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'B' and Group 'C' posts) in terms of the instructions contained in DoPT OM No. AB-14017/61/2008-Estt(RR) dated 27.02.2015, the notified recruitment Rules for the post(s) mentioned as above of earlier SRO related to the above posts circulated for information and necessary action please.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.: Copy of SRO 46 Dated 26th May, 2018.

(H.K.Paikra)
DIR/IR
For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-
1. Chairman's Sectt., OFB Kolkata.
2. All Members, OFB Kolkata.
3. The Addl. DGOF/AV Hqrs. Avadi.
4. The Addl. DGOF/OEF Hqrs, Kanpur.
5. Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
6. Principal Director /OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
7. Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata
8. Section : Per/NG, Per/Policy and Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, जुलाई 1—जुलाई 7, 2018, शनिवार/आषाढ़ 10—आषाढ़ 16, 1940

No. 15] NEW DELHI, JULY 1—JULY 7, 2018, SATURDAY/ASADHA 10—ASADHA 16, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.नि.आ. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा समूह 'क' भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा (समूह 'क') भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा समूह 'क' भर्ती नियम, 2015 में,-

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :-

" 3 गठन वर्गीकरण, श्रेणियाँ और वेतन मेट्रिक्स में स्तर :-

(1) नियम 4 भारतीय आयुध निर्माणी सेवा में नियम 4 और 6 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे।

परंतु सरकार आयोग से परामर्श करके इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सम्मिलित पदों से भिन्न ऐसे पदों को जिन्हें प्रास्थिति ग्रेड, वेतन मेट्रिक्स के स्तर और वृत्तिक अंतर्वस्तु या ग्रेड या समय वेतनमान में सेवा में सम्मिलित पदों

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- 1. Senior Administrative Officer or Deputy Director, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman. 2. An officer of the status of Section Officer each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) and Armed Forces Film and Photo Division, Ministry of Defence - Members.	Not applicable.

[F. No. A/33970/CAO/R-II]

JITENDRA KUMAR, Dy. Chief Administrative Officer

नई दिल्ली, 26 मई, 2018

का.नि.आ. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, आर्डनेंस तथा आर्डनेंस उपस्कर फैक्टरी, कार्यालय अधीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, आर्डनेंस तथा आर्डनेंस उपस्कर फैक्टरी, कार्यालय अधीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, आर्डनेंस तथा आर्डनेंस उपस्कर फैक्टरी, कार्यालय अधीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 में,

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है";

(2) अनुसूची में, -

(क) कार्यालय अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर -6 (35400-112400 रु.)";

(ii) स्तंभ (11), में –

(क) "वेतन बैंड - 1 – 5200-20200 रु. और 2400 रुपए का ग्रेड वेतन", दोनों ही स्थान की प्रविष्टियों के लिए," वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.) को रखा जाएगा";

(ख) 'टिप्पण 2' उप-शीर्षक के अधीन 'प्रोन्नति' का लोप किया जाएगा।

(ग) 'टिप्पण 4' उप-शीर्षक के अधीन 'प्रतिनियुक्ति' का लोप किया जाएगा।

(ख) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, -

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"स्तर -4 (25500-81100 रु.)" ;

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) "वेतन बैंड - 1 – 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रुपए", दोनों ही स्थानों की प्रविष्टियों के लिए, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु.)" को रखा जाएगा ;

(ख) 'टिप्पण 2' उप-शीर्षक के अधीन 'प्रोन्नति' का लोप किया जाएगा ।

(ग) 'टिप्पण 4' उप-शीर्षक के अधीन 'प्रतिनियुक्ति' का लोप किया जाएगा ।

(ग) अवर श्रेणी लिपिक पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, -

(i) स्तंभ 4 में प्रविष्टियों से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"स्तर -2 (19900-63200 रु.)" ;

(ii) स्तंभ (10), में प्रविष्टियों से संबंधित " ग्रेड वेतन 1800 रुपए", दोनों ही स्थानों की प्रविष्टियों के लिए, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1 (18000-56900 रु.)" को रखा जाएगा ।

[फा. सं. 41(7)/2018-डी (स्था./एनजी)]

संजय रावत, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, तारीख 24 जून, 2013 को अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 43 के तहत जारी किए गए थे और इन्हें तारीख 6 जुलाई, 2013 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था ।

New Delhi, the 26th May, 2018

S.R.O. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Ordnance and Ordnance Equipment Factories, Office Superintendent, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules,2013, namely .-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Ordnance and Ordnance Equipment Factories, Office Superintendent, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules,2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Ordnance and Ordnance Equipment Factories, Office Superintendent, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013, -

(1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix. -** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.";

(2) in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Office Superintendent,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

"Level in pay matrix
(4)
Level- 6 (Rs. 35400-112400)" ;

(ii) in column (11),-

(A) for the entries " the Pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400", at both the places they occur, the entries "level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted ;

(B) 'Note 2' under sub-heading 'Promotion' shall be omitted ;

(C) 'Note 4' under sub-heading 'Deputation' shall be omitted.

(b) against serial number 2, relating to the post of Upper Division Clerk,-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level- 4 (Rs.25500-81100)" ;

(ii) in column (11), -

(A) for the entries " the Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs, 1900", at both the places they occur, the entries "level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix" shall be substituted ;

(B) 'Note 2' under sub-heading 'Promotion' shall be omitted ;

(C) 'Note 4' under sub-heading 'Deputation' shall be omitted.

(c) against serial number 3, relating to the post of Lower Division Clerk,-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level- 2 (Rs.19900-63200)" ;

(ii) in column (10), for the entries "the grade pay of Rs. 1800", at both the places they occur, the entries "Level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix" shall be substituted.

[F.No. 41(7)/2018-D(Estt./NG)]

SANJAY RAWAT, Under Secy.

Foot note. - The Principal rules were issued vide notification number S.R.O. 43, dated the 24th June, 2013 and published in the Gazette of India, Part-II section 4, dated the July 6, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.07.14 11:21:50 +05'30'